



# उ०प्र० लोक सेवा आयोग

विज्ञापन संख्या  
ए-७/ई-१/२०२१  
दिनांक: १५.०९.२०२१

**उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा (अध्यापन) सेवा परीक्षा, २०२१**  
**आन-लाइन आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि:- १५.०९.२०२१**  
**आनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अन्तिम तिथि:- १२.१०.२०२१**  
**आनलाइन आवेदन स्वीकार (Submit) किये जाने की अन्तिम तिथि:- १५.१०.२०२१**

## महत्वपूर्ण

- यदि किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी द्वारा कोई वांछित/आवश्यक सूचना छिपायी जाती है अथवा उसका मिथ्या निरूपण किया जाता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है तथा उसके विरुद्ध अन्य उचित कार्यवाही जैसे प्रतिवारण आदि प्रारम्भ की जा सकती है।
- अभ्यर्थियों को अपने आन-लाइन आवेदन की हार्ड कापी के साथ आनलाइन आवेदन में किये गये समस्त दावों के समर्थन में समस्त प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां आयोग के निर्देशानुसार यथा समय संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा। इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा पृथक से प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जायेगा।
- अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे आनलाइन आवेदन करते समय सभी चरणों (यथा— रजिस्ट्रेशन, फौस भुगतान, फाइनल सबमिट इत्यादि) की सूचनायें साप्ट व हार्ड कापी के रूप में भविष्य हेतु संरक्षित करना सुनिश्चित करें।

**विशेष सूचना:-** (क) “बैंक में शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने की ही दशा में उनका आन-लाइन आवेदन स्वीकार होगा। यदि निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद बैंक में शुल्क जमा किया जाता है तो अभ्यर्थी का आन-लाइन आवेदन स्वीकार नहीं होगा तथा जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा। निर्धारित अन्तिम तिथि तक शुल्क बैंक में जमा करना तथा निर्धारित अन्तिम तिथि तक आवेदन 'Submit' करने का दायित्व अभ्यर्थी का है। यह भी सूचित किया जाता है कि परीक्षा शुल्क के रूप में जमा की गई कोई भी धनराशि किसी भी दशा में वापस नहीं की जायेगी।”

(ख) आनलाइन आवेदन हेतु अभ्यर्थियों को निर्धारित कॉलम में अपना मोबाइल नं० और मान्य ई-मेल आईडी देना होगा जिसके बिना उनका Basic Registration पूरा नहीं होगा। इसी मोबाइल नं० पर भविष्य में सभी सूचनाएं निर्देश एसएमएस द्वारा भेजे जायेंगे तथा ई-मेल उनके मान्य ई-मेल आईडी पर प्रेषित किये जायेंगे।

## आन-लाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना

यह विज्ञापन आयोग की [website http://uppsc.up.nic.in](http://uppsc.up.nic.in) पर भी उपलब्ध है। इस विज्ञापन में आवेदन करने हेतु ‘आन-लाइन’ आवेदन पद्धति (ON-LINE APPLICATION SYSTEM) लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अतएव अभ्यर्थी आन-लाइन आवेदन ही करें।

“आन-लाइन आवेदन” करने के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे निम्नलिखित निर्देशों को भलीभांति समझ लें और तदनुसार आवेदन करें:—

1. आयोग की [Website http://uppsc.up.nic.in](http://uppsc.up.nic.in) पर “ALL NOTIFICATION/ADVERTISEMENTS” अभ्यर्थी द्वारा Click करने पर ON-LINE ADVERTISEMENT स्वतः प्रदर्शित होगा, जिसमें निम्नलिखित तीन भाग हैं—

- User Instructions
- View Advertisement
- Apply

उन समर्त विज्ञापनों की सूची प्रदर्शित होगी जिनमें “आन-लाइन आवेदन पद्धति” लागू है। User Instruction में अभ्यर्थियों को ऑन-लाइन फार्म भरने से सम्बन्धित दिशा-निर्देश दिये गये हैं। अभ्यर्थी इनमें से जिस विज्ञापन को देखना चाहें उसके सामने “View Advertisement” को Click करें। ऐसा करने पर पूरे विज्ञापन के साथ ऑन-लाइन आवेदन की प्रक्रिया से सम्बन्धित “Sample Snapshots” भी प्रदर्शित होंगे। आनलाइन आवेदन हेतु “Apply” पर Click करें।

“आन-लाइन आवेदन” करने का कार्य निम्नांकित तीन स्तरों पर किया जायेगा :—

**प्रथम स्तर** – Apply Click करने पर परीक्षा के सापेक्ष ‘Candidate Registration’ प्रदर्शित होगा तथा ‘Candidate Registration’ Click करने पर Basic Registration Form प्रदर्शित होगा। Basic Registration Form भरने के पश्चात Submit बटन पर Click करने से पूर्व अभ्यर्थी भरी गई सूचनाओं को भली भांति जाँच लें एवं यदि कोई संशोधन करना हो तो Edit button पर Click करें, जिसके फलस्वरूप प्रथम चरण का पंजीकरण पूर्ण हो जायेगा। तत्पश्चात ‘Print registration Slip’ प्रदर्शित होगी, जिस पर Click करके Registration Slip की प्रिन्ट प्राप्त कर लें।

**द्वितीय स्तर** – प्रथम चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात स्क्रीन पर “Click here to proceed for payment” कैफान के साथ ‘Fee to be deposited [in INR]’ प्रदर्शित होगा। उक्त कैफान पर विलक्षण करने के पश्चात् स्टेट बैंक MOPS (Multi Option Payment System) का Home page प्रदर्शित होगा जिस पर भुगतान के तीन माध्यम (Mode) प्रदर्शित होंगे। (i) NET BANKING (ii) CARD PAYMENTS (iii) OTHER PAYMENT MODES, उक्त माध्यमों में से किसी एक माध्यम द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करने के पश्चात ‘Payment Acknowledgment Receipt (PAR)’ प्रदर्शित होगी जिसमें परीक्षा शुल्क जमा करने का पूरा विवरण अंकित रहेगा, इसकी प्रिन्ट ‘Print Payment Receipt’ पर विलक्षण प्राप्त कर लें।

**त्रितीय स्तर** – द्वितीय चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात ‘Proceed for final submission of application form’ पर विलक्षण करने पर फार्मेट प्रदर्शित होगा। उक्त फार्मेट में आनलाइन सूचनाएं भरनी होंगी तथा फोटो व हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करना होगा। अभ्यर्थी अपनी फोटो व हस्ताक्षर निर्धारित साइज (साइज का उल्लेख आन-लाइन आवेदन में निर्धारित स्थान पर होगा) में ही स्कैन करें। यह भी ध्यान रखें कि फोटो नवीनतम और आवश्यक (Chest) तक होनी चाहिए। यदि फोटो व हस्ताक्षर निर्धारित आकार में स्कैन करके upload नहीं किया जाता तो आवेदन को आन-लाइन सिस्टम स्वीकार नहीं करेगा। फोटो व हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करने की प्रक्रिया परिशिष्ट-१ में दी गई है। आवेदन प्रारूप पर सभी प्रविष्टियां अंकित करने के बाद “PREVIEW” को click करके अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गई सूचनाओं को देख लें कि सभी सूचनायें सही—सही भरी गई हैं और पूरी तरह सन्तुष्ट होने के बाद आन-लाइन आवेदन आयोग को प्रेषित करने हेतु “Submit” बटन को Click करें। अभ्यर्थी द्वारा समस्त सूचनायें सही—सही निर्देशानुसार आन-लाइन फार्मेट में भरकर आवेदन जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि तक “Submit” बटन को Click करना आवश्यक है, यदि अभ्यर्थी द्वारा “Submit” बटन को Click नहीं किया जायेगा तो आन-लाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तथा इसका दायित्व अभ्यर्थी का होगा। “Submit” बटन को Click करने के पश्चात आवेदन का प्रिन्ट लेकर अभ्यर्थी इसे अपने पास सुरक्षित रखें। किसी विसंगति की दशा में उक्त प्रिन्ट आयोग कार्यालय में अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

2. आवेदन शुल्क : आन-लाइन आवेदन की प्रक्रिया में प्रथम चरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात द्वितीय चरण में दिये गये निर्देशों के अनुसार श्रेणीवार परीक्षा शुल्क जमा करें। परीक्षा हेतु श्रेणीवार निर्धारित शुल्क

निम्नानुसार है :—

(i) अनारक्षित / आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग / अन्य पिछड़ा वर्ग	— परीक्षा शुल्क ₹ 200/- + आन-लाइन प्रक्रिया शुल्क ₹ 25/- योग = ₹ 225/-
(ii) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति	— परीक्षा शुल्क ₹ 80/- + आन-लाइन प्रक्रिया शुल्क ₹ 25/- योग = ₹ 105/-
(iii) दिव्यांग श्रेणी	— परीक्षा शुल्क NIL + आन-लाइन प्रक्रिया शुल्क ₹ 25/- योग = ₹ 25/-
(iv) भूतपूर्व सैनिक	— परीक्षा शुल्क ₹ 80/- + आन-लाइन प्रक्रिया शुल्क ₹ 25/- योग = ₹ 105/-
(v)	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित / महिला — अपनी मूल श्रेणी के अनुसार
3.	ऐसे अभ्यर्थी, जो उ०प्र० लोक सेवा आयोग से प्रतिवारित किये गये हैं तथा उनकी प्रतिवारण अवधि समाप्त नहीं हुयी है, उनका Basic Registration स्वीकार्य नहीं होगा। यदि प्रतिवारण सम्बन्धी तथ्यों को छिपाकर आवेदन कर भी देते हैं तो भविष्य में किसी भी स्तर पर यह तथ्य प्रकाश में आने पर न केवल इस परीक्षा हेतु उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा वरन् उन्हें समस्त आगामी परीक्षाओं/चयनों से प्रतिवारित करने/प्रतिवारण अवधि बढ़ाये जाने के बारे में आयोग द्वारा विचार किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा इस सम्बन्ध में अपने आवेदन में किया गया दावा सत्य नहीं पाये जाने पर आयोग द्वारा उन्हें प्रश्नगत परीक्षा तथा भविष्य में आयोजित होने वाली समस्त परीक्षाओं/चयनों से प्रतिवारित करने की कार्यवाही तथा अन्य दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
4.	सबमिट किये गये आवेदन में संशोधन: आनलाइन आवेदन Submit करने के बाद यदि किसी अभ्यर्थी को Submit किये जा चुके आवेदन में किसी त्रुटी का ज्ञान होता है तो परीक्षा का नाम एवं भर्ती का प्रकार, Registered Mobile Number, E-mail ID, Aadhaar Number तथा ऐसे मामले जिनमें संशोधित श्रेणी का शुल्क अधिक है, को छोड़कर (इन प्रविष्टियों में त्रुटी करने की दशा में अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क के साथ ही नया ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं क्योंकि पूर्व में जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में समायोजित/वापस नहीं किया जायेगा।) इसे आनलाइन आवेदन जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व संशोधित करने हेतु अभ्यर्थीयों को एक अवसर अनुमन्य है, जिसकी प्रक्रिया निम्नानुसार है:—
	“अभ्यर्थी को Candidate Segment में 'Online application process' के अन्तर्गत 'Modify Submitted Application' को क्लिक (Click) करना होगा। Click करने के पश्चात "Candidate Personal Details" Screen प्रदर्शित होगी जिसमें अभ्यर्थी को रजिस्ट्रेशन नं., जन्मतिथि (Date of Birth), लिंग (Gender) निवास (Domicile) तथा श्रेणी (Category) भरनी होगी तत्पश्चात Verification Code अंक

## उप्रोक्त सेवा आयोग

(2)

एण्ड कन्ट्रोल विशिष्टता के साथ)							<b>प्रविष्टि वेतन:</b> <b>1,31,400/-</b> <b>लेवल: 13 क 1</b>	<b>अनिम्न व्यक्ति का 05 वर्ष का अनुभव हो।</b> <b>अथवा</b> सुसंगत शाखा (ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा अनुमोदित डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की सूची में यथा प्रगणित) में स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम श्रेणी तथा प्राविधिक शिक्षा/शोध/उद्योग के अध्यापन में उपाधि या डिप्लोमा स्तर पर न्यूनतम 20 वर्षों का अनुभव, जिसमें से विभागाध्यक्ष के स्तर से अनिम्न व्यक्ति का 05 वर्ष का अनुभव हो।
(15) व्याख्याता डेरी इंजीनियरिंग	05	01	—	01	—	07		
(16) व्याख्याता आर्किटेक्चर	01	—	—	—	—	01		
(17) व्याख्याता आटो अभियंत्रण	04	01	—	—	—	05		
(18) व्याख्याता टेक्स्टाइल केमिस्ट्री	02	01	—	—	—	03		
(19) व्याख्याता टेक्स्टाइल इंजीनियरिंग	04	01	—	01	—	06		
(20) व्याख्याता फार्मेसी	11	06	—	06	02	25		
(21) व्याख्याता इंस्ट्रूमेंटेशन एण्ड कन्ट्रोल	02	01	—	01	01	05		
(22) व्याख्याता इंटीरियर डिजाइन एण्ड डेकोरेशन	01	01	—	01	—	03		
(23) व्याख्याता फुटवियर टेक्नालॉजी	02	—	—	—	—	02		
(24) व्याख्याता केमिकल रबर एण्ड प्लास्टिक	01	—	—	—	—	01		
3 व्याख्याता (अभियंत्रणेत्तर)							(1) व्याख्याता यांत्रिक अभियंत्रण	व्याख्याता (लेवल-9क, प्रविष्टि वेतन रु— 56,100/-) (क) अभियंत्रण/प्रौद्योगिकी
(1) व्याख्याता भौतिकी	20	12	02	15	08	57		सुसंगत शाखा (ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा अनुमोदित डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की सूची में यथा प्रगणित) में प्रथम श्रेणी के साथ बी०ई०/बी०टेक०/बी०एस० व्याख्याता (लेवल-10, प्रविष्टि वेतन रु— 57,700/-)
(2) व्याख्याता रसायन	15	12	02	11	08	48		(क) तकनीकी शाखाओं के लिये
(3) व्याख्याता अंग्रेजी	18	10	01	14	07	50		चयन के समय में सुसंगत शाखाओं (ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा अनुमोदित डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की सूची में यथा प्रगणित) में स्नातक और स्नातकोत्तर की दो उपाधियों में से एक उपाधि में प्रथम श्रेणी।
(4) व्याख्याता गणित	20	13	02	17	08	60		
4 कर्मशाला अधीक्षक							(2) व्याख्याता विद्युत अभियंत्रण	व्याख्याता (लेवल-9क, प्रविष्टि वेतन रु— 56,100/-) (क) अभियंत्रण/प्रौद्योगिकी
5 पुस्तकालयाध्यक्ष	34	19	02	24	08	87		सुसंगत शाखा (ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा अनुमोदित डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की सूची में यथा प्रगणित) में प्रथम श्रेणी के साथ बी०ई०/बी०टेक०/बी०एस० व्याख्याता (लेवल-10, प्रविष्टि वेतन रु— 57,700/-)
कुल योग—	523	292	28	352	175	1370		(क) तकनीकी शाखाओं के लिये
								चयन के समय के सुसंगत शाखाओं (ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा अनुमोदित डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की सूची में यथा प्रगणित) में स्नातक और स्नातकोत्तर की दो उपाधियों में से एक उपाधि में प्रथम श्रेणी।
							(3) व्याख्याता सिविल अभियंत्रण	व्याख्याता (लेवल-9क, प्रविष्टि वेतन रु— 56,100/-) (क) अभियंत्रण/प्रौद्योगिकी
								सुसंगत शाखा (ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा अनुमोदित डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की सूची में यथा प्रगणित) में प्रथम श्रेणी के साथ बी०ई०/बी०टेक०/बी०एस० व्याख्याता (लेवल-10, प्रविष्टि वेतन रु— 57,700/-)
								(क) तकनीकी शाखाओं के लिये
								चयन के समय में सुसंगत शाखाओं (ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा अनुमोदित डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की सूची में यथा प्रगणित) में स्नातक और स्नातकोत्तर की दो उपाधियों में से एक उपाधि में प्रथम श्रेणी।
							(4) व्याख्याता इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण	व्याख्याता (लेवल-9क, प्रविष्टि वेतन रु— 56,100/-) (क) अभियंत्रण/प्रौद्योगिकी
								सुसंगत शाखा (ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा अनुमोदित डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की सूची में यथा प्रगणित) में प्रथम श्रेणी के साथ बी०ई०/बी०टेक०/बी०एस० व्याख्याता (लेवल-10, प्रविष्टि वेतन रु— 57,700/-)
								(क) तकनीकी शाखाओं के लिये
								चयन के समय में सुसंगत शाखाओं (ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा अनुमोदित डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की सूची में यथा प्रगणित) में स्नातक और स्नातकोत्तर की दो उपाधियों में से एक उपाधि में प्रथम श्रेणी।
							(5) व्याख्याता कैमिकल अभियंत्रण	व्याख्याता (लेवल-9क, प्रविष्टि वेतन रु— 56,100/-) (क) अभियंत्रण/प्रौद्योगिकी
								सुसंगत शाखा (ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा अनुमोदित डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की सूची में यथा प्रगणित) में प्रथम श्रेणी के साथ बी०ई०/बी०टेक०/बी०एस० व्याख्याता (लेवल-10, प्रविष्टि वेतन रु— 57,700/-)
								(क) तकनीकी शाखाओं के लिये
								चयन के समय में सुसंगत शाखाओं (ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा अनुमोदित डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की सूची में यथा प्रगणित) में स्नातक और स्नातकोत्तर की दो उपाधियों में से एक उपाधि में प्रथम श्रेणी।
							(6) व्याख्याता कम्प्यूटर	व्याख्याता (लेवल-9क, प्रविष्टि वेतन रु— 56,100/-)

continued..

# उप्रो लोक सेवा आयोग

(3)

# उप्रो लोक सेवा आयोग

(4)

## उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग

(5)

<p>रीजनल इन्स्टीट्यूट ऑफ प्रिन्टिंग टेक्नोलॉजी प्रविष्टि वेतन: 56,100/- लेवल: 9 क</p>		<p>राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा अथवा यूजी०सी० द्वारा यथा अनुमोदित अन्य समकक्ष परीक्षा में अहता हो। <b>(क) डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं के लिये</b> ऐसे पुस्तकालयाध्यक्ष, जिनकी भर्ती डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं में विद्यमान भर्ती नियमावली के साथ दिनांक 01.01.1996 और 15.03.2000 के मध्य हुई हो, ज्येष्ठ वेतनमान के मात्र अगले उच्चतर ग्रेड में सी०ए०एस० के अधीन उच्चीकरण हेतु विचारगत किये जायें। तथापि सी०ए०एस० के अधीन अग्रतर उच्च संचलन हेतु उनसे उसी रीति से न्यूनतम शैक्षिक अहता अर्जित किया जाना अपेक्षित होगा, जैसा कि ए०आई० सी०टी०ई० ०५० अधिसूचना-२००० (उपाधि) और अनुवर्ती स्पष्टीकरणों / अधिसूचनाओं में निर्धारित है। <b>(ख) स्नातक स्तरीय संस्थाओं के लिये यथोक्त</b></p>												
<b>क्रम सं०- २(१) पर इंगित पद व्याख्याता, यांत्रिक अभियंत्रण तथा क्रम सं० (४) पर इंगित पद कर्मशाला अधीक्षक हेतु अधिमान्यता साक्षात्कार के समय भराई जायेगी।</b>														
नोट:- यदि वर्ग/श्रेणी न प्रदान की गयी हो तो कुल योग का न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्रथम श्रेणी/वर्ग के समकक्ष समझा जायेगा, यदि ग्रेड प्लाइंट सिस्टम अपनाया जाता है तो सी०जी०पी०० को निमानुसार समकक्ष अंकों में संपरिवर्तित किया जायेगा—														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>ग्रेड प्लाइंट</th> <th>समकक्ष प्रतिशत</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6.25</td> <td>55%</td> </tr> <tr> <td>6.75</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>7.25</td> <td>65%</td> </tr> <tr> <td>7.75</td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td>8.25</td> <td>75%</td> </tr> </tbody> </table>			ग्रेड प्लाइंट	समकक्ष प्रतिशत	6.25	55%	6.75	60%	7.25	65%	7.75	70%	8.25	75%
ग्रेड प्लाइंट	समकक्ष प्रतिशत													
6.25	55%													
6.75	60%													
7.25	65%													
7.75	70%													
8.25	75%													
<b>11. आयु सीमा:-</b> (१) प्रधानाचार्य पद हेतु अभ्यर्थियों को ०१ जुलाई, २०२१ को ३५ वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए और उन्हें ५० वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए अर्थात् उनका जन्म ०२ जुलाई, १९७१ से पूर्व तथा ०१ जुलाई, १९८६ के बाद का नहीं होना चाहिए। (२) व्याख्याता अभियंत्रण शाखा/व्याख्याता अभियंत्रणत्तर शाखा/कर्मशाला अधीक्षक/पुस्तकालयाध्यक्ष पदों हेतु अभ्यर्थियों को ०१ जुलाई, २०२१ को २१ वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए और उन्हें ४० वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए अर्थात् उनका जन्म ०२ जुलाई, १९८१ से पूर्व तथा ०१ जुलाई, २००० के बाद का नहीं होना चाहिए। दिव्यांगजन हेतु अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट अनुमत्य होगा। (३) अधिकतम आयु सीमा में छूट:- (क) उ०प्र० की अनुसूचित जाति, उ०प्र० की अनुसूचित जन जाति, उ०प्र० के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों, उ०प्र० के वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों, उ०प्र० राज्य सरकार के कर्मचारियों, उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षक/शिक्षणतत्त्व कर्मचारियों तथा उ०प्र० के अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में ०५ वर्ष की छूट अनुमत्य होगी अर्थात् उनका जन्म ०२ जुलाई, १९७६ के पूर्व का नहीं होना चाहिए। (ग) समूह-‘ख’ के पदों हेतु उ०प्र० के आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों/भूतपूर्व सैनिकों के लिये अधिकतम आयु सीमा में सेना में की गयी सेवा अवधि +३ वर्ष के बराबर छूट अनुमत्य होगी तथा समूह ‘क’ के पदों हेतु सेना में ५ वर्ष की सेवा पूरी करने पर, ५ वर्ष की छूट अनुमत्य होगी।														
<b>12. परीक्षा के सम्बन्ध में क्रतिपय सूचनायें:-</b> (१) परीक्षा की तिथि एवं केन्द्र की सूचना आयोग द्वारा ई-प्रवेश पत्र के माध्यम से बाद में दी जायेगी। (२) केवल वही अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए आहूत किये जायेंगे जो लिखित परीक्षा के आधार पर सफल घोषित होंगे। (३) मूल प्रमाण पत्रों की जाँच साक्षात्कार के समय होगी, उस समय अभ्यर्थियों को दो फोटोग्राफ अपने विभागाध्यक्ष अवधा उस संस्था के प्रधान द्वारा, जहाँ उन्होंने अन्तिम शिक्षा पायी हो अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित तथा दो सादे फोटोग्राफ प्रस्तुत करना होगा। (४) केन्द्र अवधा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय अपने सेवायोजक का सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। (५) साक्षात्कार के लिये सफल घोषित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में उपस्थित होना अनिवार्य होगा।														
<b>13. अभ्यर्थियों के लिये महत्वपूर्ण अनुदेश:-</b> (१) उ०प्र० लोक सेवा आयोग के निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को, जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती है, देने पर अवधा अन्य किसी कदाचार पर आयोग की प्रश्नगत परीक्षा तथा अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से अधिकतम ५ वर्षों तक प्रतिवारित किया जा सकता है। (२) आन-लाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक ही श्रेणी, उपश्रेणी, डोमिसिल, लिंग, जन्मतिथि, नाम व पते का जो दावा किया जायेगा, वही मान्य होगा। इसके बाद कोई भी परिवर्तन अनुमत्य नहीं होगा। इस सम्बन्ध में त्रुटि सुधार/संशोधन हेतु कोई प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। (३) अपूर्ण आवेदन पत्र सरकारी तौर पर निरस्त कर दिया जायेगा। (४) परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी को शैक्षिक योग्यताओं के सम्बन्ध में किये गये दावे की पुष्टि में अंक पत्र, प्रमाण पत्र एवं उपाधि की स्वतः प्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा। दावों की पुष्टि में प्रमाण पत्र/अभिलेख संलग्न न करने पर अवधा प्रमाण पत्र/अंक पत्र स्वतः प्रमाणित न होने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा। (५) समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों को उ०प्र० लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों) के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, २०१८ की धारा-३ में उल्लिखित दिव्यांगता से ग्रस्त होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र जो सक्षम चिकित्साधिकारी/विशेषज्ञ द्वारा निर्गत एवं मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हों, प्रस्तुत करने पर शासन द्वारा चिन्हित किये गये पदों पर दिव्यांग की उप श्रेणी के अन्तर्गत ही आरक्षण का लाभ अनुमत्य होगा। उल्लेखनीय है कि उक्त अधिनियम की धारा-३ के अनुसार पदों का नया चिन्हांकन अभी शासन से नहीं प्राप्त हुआ है अतएव नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा अधियाचन में दिव्यांग रिक्तियों का जो चिन्हांकन (श्रेणी/उपश्रेणी) प्राप्त होगा उसी के अनुसार चयन की कार्यवाही की जायेगी। (६) आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक भूतपूर्व सैनिकों को सैन्य सेवा से अवमुक्त होना आवश्यक है। (७) परीक्षा की तिथि, समय तथा केन्द्रों आदि के सम्बन्ध में अनुक्रमांक सहित ई-प्रवेश पत्रों के माध्यम से सूचना दी जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित केन्द्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केन्द्र परिवर्तन अनुमत्य नहीं होगा तथा इस सम्बन्ध में कोई भी प्रार्थना पत्र स्वीकार्य नहीं होगा। (८) जो अभ्यर्थी कालान्तर में विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अहं नहीं पाये जायेंगे उनका अध्यर्थन/चयन के सम्बन्ध में आयोग का दिव्यांग और परीक्षा भूतपूर्व होगा। (९) आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर न होने, आवेदन पत्र में जन्म तिथि का उल्लेख न करने पर तथा त्रुटिपूर्ण जन्म तिथि अंकित करने पर, अधिवयस्क या अल्पवयस्क होने पर, न्यूनतम शैक्षिक अहता धारित न करने पर, आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद आवेदन पत्र प्राप्त होने पर तथा आवेदन पत्र के घोषणा पत्र के नीचे हस्ताक्षर न करने पर, आवेदन पत्र/अध्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। (१०) आयोग आवेदन पत्र की सरसरी जाँच पर अभ्यर्थियों को औपबन्धित प्रयोग दे सकते हैं, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी अहं नहीं था, अथवा आवेदन पत्र प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार करने योग्य नहीं था, उसका अध्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। (११) कदाचार्य अर्थात् परीक्षा भवन में नकल करने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार तथा अन्य अवांछनीय कार्य करने पर अभ्यर्थी का अध्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा तथा भविष्य में होने वाली अन्य समस्त परीक्षाओं/चयनों से प्रतिवारित किया जायेगा। (१२) आयोग से सभी पत्राचार में परीक्षा का नाम, विज्ञापन संख्या, रजिस्ट्रेशन नं०, जन्मतिथि, पिता/पति का नाम तथा अनुक्रमांक (यदि दिया गया हो) का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। (१३) नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नियमों में अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा। (१४) लिखित परीक्षा के परिवर्तन आधार पर साक्षात्कार हेत														

Preview page will display all facts/particulars that you have mentioned on entry time, if you are sure with filled details then click on "Submit" button to finally push data into server with successfully submission report that you can print.

Otherwise using "Back" button you can modify your details.

**[CANDIDATES ARE ADVISED TO TAKE A PRINT OF THIS PAGE BY CLICKING ON THE "PRINT" OPTION AVAILABLE]**

**For other Information:** For other Information candidates are advised to select desired option in 'Home Page' of Commission's website <http://uppsc.up.nic.in>

**CANDIDATE SEGMENT**

<b>NOTIFICATIONS/ADVT'S</b>	
<b>All Notification/Advertisements</b>	
<b>ONLINE FORM SUBMISSION</b>	
1. Candidate Registration (First Stage)	
2. Fee Deposition / Reconciliation (SECOND STAGE)	
3. Submit Application Form (Third Stage)	
<b>APPLICATION FORM STATUS</b>	
Update your transaction ID by Double Verification mode View Application Status	
List of Applications Having photo related Objections	
Print Duplicate Registration Slip	
Print Detailed Application Form	
<b>EXAMINATION SEGMENT</b>	
Print Address Slip for sending Documents to commission [Only for Direct Recruitment]	
<b>DOWNLOAD SEGMENT</b>	
Download Admit Card	
Download interview letter	
Download Syllabus	
Know your Registration No.	
Click here to view Key Answer Sheet	

**Regarding Application :**

- On clicking "View Application status" option in Candidate Segment page you can see current status of candidate.
- On clicking "Result" option in Candidate Segment page candidate can see result status of periodically.
- "Interview/Exam Schedule" option in Candidate Segment page candidate can see interview and examination schedule details periodically.
- On clicking "Key Answer Sheet" candidate can download key answer sheet.
- On clicking "Admit Card/Hall Ticket" candidate can download their Admit Card using with some basic credential of candidate.
- On clicking "List of Rejected Candidate" candidate can view Rejected candidate list.
- On clicking "Syllabus" candidate can view syllabus of particular examination.

[Candidates applying on-line need NOT send hard copy of the Online Application filled by them on-line or any other document/certificate/testimonial to the Uttar Pradesh Public Service Commission. However they are advised to take printout of the On-line Application and retain it for further communication with the UPPSC.] [The Candidates applying for the examination should ensure that they fulfill all eligibility conditions for admission to examination. Their admission at all the stages of the examination will be purely provisional subject to satisfying the prescribed eligibility conditions.] UPPSC takes up verification of eligibility conditions with reference to original documents at subsequent stages of examination process.

**LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS :** On-line Application process must be completed (including filling up of Part-I, Part-II and Part-III of the Form) before last date of form submission according to Advertisement, after which the Web-Link will be disabled.


**परिशिष्ट—1**

The Procedure relating to upload Photo & Signature.

**Guide Lines for Scanning Photograph with Signature**

- Paste the Photo on any white paper as per the above required dimensions. Sign in the Signature Space provided. Ensure that the signature is within the box.
- Scan the above required size containing photograph and signature. Please do not scan the complete page.
- The entire image (of size 3.5 cm by 6.0 cm) consisting of the photo along with the signature is required to be scanned, and stored in \*.jpg, .jpeg, .gif, .tif, .png format on local machine.
- Ensure that the size of the scanned image is not more than 50 KB.
- If the size of the file is more than 50 KB, then adjust the settings of the scanner such as the DPI resolution, no. colours etc., during the process of scanning.
- The applicant has to sign in full in the box provided. Since the signature is proof of identity, it must be genuine and in full; initials are not sufficient. Signature in CAPITAL LETTERS is not permitted.
- The signature must be signed only by the applicant and not by any other person.
- The signature will be used to put on the Hall Ticket and wherever necessary. If the Applicant's signature on answer script, at the time of the examination, does not match the signature on the Hall Ticket, the applicant will be disqualified.

**Sample Image & Signature :-**



**परिशिष्ट — 2**

जिन नगरों में परीक्षा आयोजित की जायेगी वे निम्न प्रकार हैं:- लखनऊ एवं प्रयागराज।

अन्तिम रूप से प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या के आधार पर आयोग के निर्णयानुसार जिला / केन्द्रों की संख्या घटायी / बढ़ाई जा सकती है।

**परिशिष्ट — 3**

उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... सुपुत्र/सुपुत्री श्री..... निवासी ग्राम ..... तहसील ..... नगर ..... जिला ..... उत्तर प्रदेश राज्य की ..... जाति के व्यक्ति हैं जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ) / संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी ..... तथा अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के .....

**सेवा आयोग**

ग्राम .....	तहसील .....	नगर .....	जिला .....	में सामान्यतया रहता है।
स्थान .....				हस्ताक्षर .....
दिनांक .....				पूरा नाम .....
मुहर .....				पद नाम .....
जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिलाधिकारी / सिटी मजिस्ट्रेट / परगना मजिस्ट्रेट / तहसीलदार / अन्य पैतन भोगी मजिस्ट्रेट यदि कोई हो / जिला समाज कल्याण अधिकारी				

**उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण—पत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... सुपुत्र/सुपुत्री श्री ..... निवासी ग्राम ..... तहसील ..... नगर ..... जिला ..... उत्तर प्रदेश राज्य की ..... पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची—एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... पूर्वोक्त अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची—दो (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता—पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं हैं तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी ..... तथा अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम ..... तहसील ..... नगर ..... जिला ..... में सामान्यतया रहता है।

स्थान .....	हस्ताक्षर .....
दिनांक .....	पूरा नाम .....
मुहर .....	पद नाम .....
जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिलाधिकारी / सिटी मजिस्ट्रेट / परगना मजिस्ट्रेट / तहसीलदार	

**(प्रपत्र—I)**

**उत्तर प्रदेश सरकार**

**कार्यालय का नाम .....**

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण—पत्र

प्रमाण—पत्र संख्या— ..... दिनांक— .....

**वित्तीय वर्ष ..... के लिए मान्य**

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... पुत्र/पति/पुत्री ..... ग्राम/कस्बा ..... पोस्ट ऑफिस ..... थाना ..... तहसील ..... जिला ..... राज्य ..... पिनकोड ..... के स्थायी निवासी हैं, जिनका फोटोग्राफ नीचे अभिप्राणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष ..... में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं है:

- 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर।
- एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।
- II. II अधिसूचित नगरपालिका के अन्तर्गत 100 वर्ग फीट अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
- IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग फीट अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी ..... जाति ..... के सदस्य हैं, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं हैं।

आवेदक का पासपोर्ट साईज का अधिप्राणित फोटोग्राफ	हस्ताक्षर ..... (कार्यालय का मुहर सहित)
	पूरा नाम .....
	पदनाम .....
जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिलाधिकारी / सिटी मजिस्ट्रेट / परगना मजिस्ट्रेट / तहसीलदार	

**(प्रपत्र-II)**

**आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थ स्वयं धोषणा पत्र**

**स्वयं धोषणा पत्र**

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी ..... ग्राम/कस्बा ..... पोस्ट ऑफिस ..... थाना ..... ब्लाक ..... तहसील ..... जिला ..... राज्य ..... ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र हेतु आवेदन दिया है, एतद्वारा धोषणा करता / करती हूँ:-

- मैं ..... जाति से सम्बन्ध रखता / रखती हूँ, जो उत्तर प्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध नहीं है।
- मेरे परिवार की कुल स्रोतों (वैतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा इत्यादि) से कुल वार्षिक आय रु. .... (शब्दों में) है।
- मेरे परिवार के पास उल्लिखित आय के सिवाय अथवा इसके अतिरिक्त अन्यत्र कोई परिसम्पत्ति नहीं है।

**अथवा**

कई स्थानों पर स्थित परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात् भी मैं (नाम) ..... आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दायरे में आता / आती हूँ।

- मैं धोषणा करता / करती हूँ कि मेरे परिवार की सभी परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात् निम्नलिखित में से किसी भी सीमा से अधिक नहीं हैं—

- 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर।
- एक हजार

# उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग

(7)

अथवा इस प्रमाण पत्र के आधार पर कोई अन्य सुविधा/लाभ प्राप्त किया गया है उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस सम्बन्ध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

नोट:- जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर तथा पूरा नाम।

स्थान :-

दिनांक :-

**उ.प्र. के दिव्यांग के लिए प्रमाण—पत्र**  
**DISABILITY CERTIFICATE FOR PHYSICALLY HANDICAP OF U.P.**

**NAME & ADDRESS OF THE INSTITUTE/HOSPITAL**

Certificate No. .... Date .....

**DISABILITY CERTIFICATE**

Recent photograph  
of the candidate  
showing the disability  
duly attested by the  
Chairperson of the  
Medical Board

This is to certified that Shri/Smt/Kum. .... son/wife/daughter of  
Shri ..... age ..... Sex ..... identification  
mark (s) ..... is suffering from permanent disability of following category.

**A. Locomotor or cerebral palsy:**

(i) BL-Both legs affected but not arms.

(ii) BA-Both arms affected

- (a) Impaired reach
- (b) Weakness or grip

(iii) BLA-Both legs and both arms affected

(iv) OL-One leg affected (right or left)

- (a) Impaired reach
- (b) Weakness of grip
- (c) Ataxic

(v) OA-One arm affected

- (a) Impaired reach
- (b) Weakness of grip
- (c) Ataxic

(vi) BH-Stiff back and hips (Cannot sit or stood)

(vii) MW-Muscular weakness and limited physical endurance

**B. Blindness or Low Vision:**

- (i) B-Blind
- (ii) PB-Partially Blind

**C. Hearing impairment:**

- (i) D-Deaf
- (ii) PD-Partially Deaf

(Delete the category whichever is not applicable)

2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.  
Re-assessn of this case is not recommended/is recommended after a period of ..... year ..... months.

3. Percentage of disability in his/her case is ..... percent.

4. Sh./Smt./Kum. .... meets the following physical requirements discharge of his/her duties:

- |  |        |
|--|--------|
| (i) F-can perform work by manipulating with fingers. | Yes/No |
| (ii) PP-can perform work by pulling & pushing.       | Yes/No |
| (iii) L-can perform work by lifting.                 | Yes/No |
| (iv) KC-can perform work by kneeling and crouching.  | Yes/No |
| (v) B-can perform work by bending.                   | Yes/No |
| (vi) S-can perform work by sitting.                  | Yes/No |
| (vii) ST-can perform work by standing.               | Yes/No |
| (viii) W-can perform work by walking                 | Yes/No |
| (ix) SE-can perform work by seeing.                  | Yes/No |
| (x) H-can perform work by hearing/speaking.          | Yes/No |
| (xi) RW-can perform work by reading and writing.     | Yes/No |

(Dr. ....)

Member

Medical Board

(Dr. ....)

Member

Medical Board

(Dr. ....)

Chairperson

Medical Board

Countersigned by the  
Medical Superintendent/  
CMO/HQ Hospital  
(with seal)

Strike out which is not applicable.

उ.प्र. लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए प्रमाण—पत्र

**प्रमाण—पत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... निवासी ..... ग्राम ..... तहसील ..... नगर ..... जिला ..... उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/श्रीमती/कुमारी (आश्रित) ..... पुत्र/पुत्री/पौत्र (पुत्र का पुत्री का पुत्र)/पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री का पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपराकित अधिनियम 1993 (यथासंशोधित) के प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) ..... के आश्रित हैं।

हस्ताक्षर .....

पूरा नाम .....

मुहर .....

स्थान .....

दिनांक .....

जिलाधिकारी .....

सील .....

कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण—पत्र जो उ.प्र. के मूल निवासी हैं

शासनादेश संख्या—22/21/1983—कार्मिक—2 दिनांक 28 नवम्बर, 1985

प्रमाण—पत्र के फार्म — 1 से 4 प्रारूप — 1

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने देश की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन का नाम ..... राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री ..... निवासी ..... पूरा पता ..... ने दिनांक ..... से दिनांक ..... तक ..... (स्थान का नाम) में आयोजित (क्रीड़ा/खेल—कूद का नाम) की प्रतियोगिता (टूर्नामेन्ट स्थान का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में देश की ओर से भाग लिया।

उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में ..... स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण—पत्र नेशनल फेडरेशन/नेशनल एसोसिएशन के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

**प्रारूप — 2**

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

सम्बन्धित खेल की प्रदेशीय एसोसिएशन का नाम ..... राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री ..... निवासी (पूरा पता) ..... ने दिनांक ..... से दिनांक ..... तक ..... (क्रीड़ा/खेल—कूद का नाम) की प्रतियोगिता (टूर्नामेन्ट स्थान का नाम) ..... आयोजित राष्ट्रीय ..... में (क्रीड़ा/खेल—कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में प्रदेश की ओर से भाग लिया।

उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में ..... स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण—पत्र (प्रदेशीय संघ का नाम) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान ..... हस्ताक्षर .....  
दिनांक ..... नाम .....  
..... नाम .....  
..... पद .....  
..... संस्था का नाम .....  
..... पता .....  
..... मुहर .....

नोट : यह प्रमाण—पत्र प्रदेशीय खेल—कूद संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

**प्रारूप — 3**

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने विश्वविद्यालय की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

विश्वविद्यालय का नाम ..... राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री ..... निवास (पूरा नाम) ..... विश्वविद्यालय की कक्षा ..... के विद्यार्थी ने दिनांक ..... से दिनांक ..... तक ..... (स्थान का नाम) में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ..... (क्रीड़ा/खेल—कूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में ..... विश्वविद्यालय की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में ..... स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण—पत्र डीन ऑफ स्पोर्ट्स अथवा इंचार्ज खेल कूद ..... विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान ..... हस्ताक्षर .....  
दिनांक ..... नाम .....  
..... नाम .....  
..... पद .....  
..... संस्था का नाम .....  
..... मुहर .....

नोट : यह प्रमाण—पत्र विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेल—कूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

**प्रारूप — 4**

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेल—कूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/निदेशक, शिक्षा, उत्तर प्रदेश ..... राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री ..... निवास (पूरा नाम) ..... में ..... स्कूल में कक्षा ..... के विद्यार्थी ने दिनांक ..... से दिनांक ..... तक ..... (स्थान का नाम) में आयोजित स्कूलों के नेशनल गेम्स की ..... (क्रीड़ा/खेल—कूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में ..... स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में ..... स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण—पत्र डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/शिक्षा में उपलब्ध रिकार्ड के

## उ०प्र० लोक सेवा आयोग

(8)

मुहर .....

नोट : यह प्रमाण-पत्र निदेशक/या अतिरिक्त/संयुक्त या उपनिदेशक डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/शिक्षा ..... द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर मान्य होगा।

### परिशिष्ट-4

#### परीक्षा योजना

प्राविधिक शिक्षा विभाग (डिप्लोमा सेक्टर), उ०प्र० के अन्तर्गत प्रधानाचार्य, व्याख्याता, कर्मशाला अधीक्षक व पुस्तकालयाध्यक्ष परीक्षा हेतु निम्नवत दो प्रश्न-पत्र होंगे:-

#### प्रथम प्रश्न-पत्र (प्रधानाचार्य हेतु)

विषय	प्रश्नों की संख्या	अंक	कुल अंक	समय
प्रश्न-पत्र - I	सामान्य हिन्दी के 25 (प्रत्येक प्रश्न 03 अंक)	75	375	2.30 (ढाई)
	सामान्य अध्ययन-I के 100 (प्रत्येक प्रश्न 03 अंक)	300		घण्टा

#### द्वितीय प्रश्न-पत्र (प्रधानाचार्य हेतु)

विषय	प्रश्नों की संख्या	अंक	कुल अंक	समय
प्रश्न-पत्र - II	सामान्य अध्ययन-II के 125 (प्रत्येक प्रश्न 03 अंक)	375	375	2.30 (ढाई) घण्टा

व्यक्तित्व परीक्षा (साक्षात्कार)

— 100 अंक

कुल योग

— **375 + 375 + 100 = 850**

#### प्रथम प्रश्न-पत्र (व्याख्याता व कर्मशाला अधीक्षक हेतु)

विषय	प्रश्नों की संख्या	अंक	कुल अंक	समय
1-सामान्य हिन्दी	25 (प्रत्येक प्रश्न 03 अंक)	75		

2-मुख्य विषय (यांत्रिक अभिभ०-I, विद्युत अभिभ०-II, सिविल अभिभ०-II, इलेक्ट्रॉनिक्स अभिभ०-II, केमिकल अभिभ०-II, कम्प्यूटर-II, पेंट टेक्नो-II, टेक्सटाइल टेक्नो-II, टेक्सटाइल डिजाइन-II, टेक्सटाइल डिजाइन प्रिंटिंग-II, कारपेट टेक्नो-II, लेदर टेक्नो-II, प्लास्टिक मोल्ड टेक्नो-II, इलेक्ट्रीकल इंजीनीर-II (इंडस्ट्रियल एण्ड कन्ट्रोल विशिष्टता के साथ), डेयरी इंजीनीर-II, आर्किटेक्चर-II, आर्टो अभिभ०-II, टेक्सटाइल केमेस्ट्री-II, टेक्सटाइल इंजीनीर-II, फार्मेसी-II, भौतिकी-II, रसायन-II, अंग्रेजी-II, गणित-II, इन्स्ट्रूमेन्टेशन एण्ड कन्ट्रोल-II, इंटीरियर डिजाइन एण्ड डेकोरेशन-II, फुटवियर टेक्नो-II, केमिकल रबर एण्ड प्लास्टिक-II, व कर्मशाला अधीक्षक (यांत्रिक अभिभ० में स्नातक / स्नातकोत्तर-II)	100 (प्रत्येक प्रश्न 03 अंक)	300	375	2.30 (ढाई) घण्टा
--	------------------------------	-----	-----	------------------

#### द्वितीय प्रश्न-पत्र (व्याख्याता व कर्मशाला अधीक्षक हेतु)

विषय	प्रश्नों की संख्या	अंक	कुल अंक	समय
1-सामान्य अध्ययन	25 (प्रत्येक प्रश्न 03 अंक)	75		

2-मुख्य विषय (पुस्तकालय विज्ञान - I)	100 (प्रत्येक प्रश्न 03 अंक)	300		
--------------------------------------	------------------------------	-----	--	--

#### प्रथम प्रश्न-पत्र (पुस्तकालयाध्यक्ष हेतु)

1- सामान्य हिन्दी	25 (प्रत्येक प्रश्न 03 अंक)	75	375	2.30 (ढाई) घण्टा
2- मुख्य विषय (पुस्तकालय विज्ञान - II)	100 (प्रत्येक प्रश्न 03 अंक)	300		

#### द्वितीय प्रश्न-पत्र (पुस्तकालयाध्यक्ष हेतु)

1- सामान्य अध्ययन	25 (प्रत्येक प्रश्न 03 अंक)	75	375	2.30 (ढाई) घण्टा
2- मुख्य विषय (पुस्तकालय विज्ञान - II)	100 (प्रत्येक प्रश्न 03 अंक)	300		

व्यक्तित्व परीक्षा (साक्षात्कार)

— 100 अंक

कुल योग

— **375 + 375 + 100 = 850**

### परिशिष्ट-5

#### पाठ्यक्रम

पाठ्यक्रम शीघ्र ही वेबसाइट पर जारी किया जायेगा।

सचिव